



इस आशय की जारी की जाती हैं कि तहसीलदार खण्डेला विवादाग्रस्त आरानी ख. नं. 469, 470, 471 टकवा 1.46 है. तत्त ग्राम सीलकीबिडा प. ह. बासडी तहसील खण्डेला का विवादीत पक्षकों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मौला-निरीक्षण का वर्तमान लब्जा-कथ "बाई मीदर एंड बाउण्डरी" के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक-प्रत्येक लगान कायम का मित बड़ा नम्बर डालकर नक्शा तैयार में तमील करते हुए विस्तृत विभाजन उत्तर तैयार कावाकण उकाण में नियत आगामी तादिख पेशी दिनांक 20/07/18 से पूर्व न्यायालय को आवश्यक रूप से प्रिजाये, वास्तु प्राप्त होने विस्तृत विभाजन उत्तर दिनांक 20/07/18 को पेश है।

20/07/18
 भागीरथ शर्मा
 (RAS)
 सहायक कलक्टर
 (फार ईका खण्डेला)

20/07/18

पत्रावली पेश हुई। वकील बादी उप. फाफ्री पूर्व आदेशानुसार मित दिनांक 27/07/18 को पेश है।

27/07/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 08/08/18 को पेश हो

08/08/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 10/08/18 को पेश हो

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|----------|--|---|
| 10/08/18 | <p>पत्रावली पैरा हुई। वकील वादी उप०। पूर्व में तहसीलदार खण्डेला से विस्तृत विभाजन उस्ताव को उपमिलेख पर लिया जाता है। वकील वादी ने हाजिर होकर विस्तृत विभाजन उस्ताव से सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विस्तृत विभाजन उस्ताव में अंतिम ठिकी जारी किया जाने का निर्देशन किया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड्स सं जाहिरिक ठिकी की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन उस्ताव का अवलोकन किया गया। -चूंकि उस्ताव तनास्मा से संबंधित है। अतः वादी का वाद मुताबिक विस्तृत विभाजन उस्ताव अंतिम तपेण ठिकी किया जाता है। विस्तृत विभाजन उस्ताव अंतिम ठिकी का भाग होगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन उस्ताव राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो तथा तस्सुसार उस्ताव में पर्ची ठिकी प्रतीब जारी हो। पत्रावली में सल शमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तजमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय पहले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

10/8/18
 न्यायालय सहायक क्लर्क (RAS)
 मध्य प्रदेश कलकत्ता
 फातर डेरी, सुपौरेला

डिक्री मुकदमा इवतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाबता दीवाने)

अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम खण्डवा

इजलास श्री भागील्य शाख, RAS

① उल्लास राम ✖ नाम ① ज्यानकी ✖

दावा वास्त तलास्मा व स्यामी निवेधाना

मुकदमा नं. 48 दि. 2018

यह मुकदमा आज वास्त इनाफिसाल कतई तबस श्री भागील्य शाख, RAS

व हाजिरो श्री मजनाप गिनजानिय मुदा खबर

गिनजानिय मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व दिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद मुताबिक वित्त विभाजन उस्ताव अंतिम रूपेण डिक्री किया जाता है। वित्त विभाजन उस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक वित्त विभाजन उस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दामद है।

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद मसरह फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करे।

मसबत मेरे दरतखत व मुहर अदालत क आज तारीख 10 माह 08 रात 2018 को जारी की गई।



श्री भागील्य शाख (RAS)
अधीन

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डवा

| मुद्दाई | रुपये | पैसे | मुदायलह | रुपये | पैसे |
|---------------------|-------|------|---------------------|-------|------|
| राम्य अर्जी दावा | | | राम्य अर्जी दावा | | |
| राम्य वकालत नामा | | | राम्य अर्जी | | |
| राम्य वजह सबूत | | | महन्नाना वकील | | |
| महन्नाना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बावत इजराय हुकमनामा | | |
| बावत इजराय हुकमनामा | | | मुताफरिक | | |
| मुताफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

* पुत्र लघाराम जाति बलई निवासी गौपालपुरा तन हौद
तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

— बादी

बनाम

* पत्नि आशा

② नन्दाराम ④ महेश पुत्रगण आशा

④ दुर्गा पुत्र बालू ⑤ निर्मला देवी पत्नि बंशीधर

⑥ सजना देवी पत्नि कालू

⑦ बन्नीप्रसाद ⑧ मूलचन्द पुत्रगण कालू

समस्त जाति बलई निवासीगण सीलकीबाडा तहसील
खण्डेला जिला सीकर राज.

⑨ मंगली पुत्री कालू पत्नि साधुलाम जाति बलई निवासी
सीलकीबाडा तहसील खण्डेला हाल निवासी जौडलीकीडमी
तन जीतमपुरी तहसील नमिकावाता जिला सीकर राज.

⑩ लिद्धमा पुत्री कालू पत्नि खंजय

⑪ गीता पुत्री कालू पत्नि सुभाष

⑫ इन्द्राज पुत्री कालू पत्नि किरान

समस्त जाति बलई निवासी सीलकीबाडा तहसील खण्डेला
हाल निवासी नाथाकीनांगल तहसील नमिकावाता जिला सीकर

⑬ पंजाब नॅशनल बँक शाखा बाबडी जयिं मैनेजर।

⑭ भूमिधारी तहसीलयाट खण्डेला

— उत्तिवादीगण

बागीरथ शाय
(RAS)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

